न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 21/2026

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. ताराचन्द पुत्र धन्नाराम मेघवाल निवासी–भावी, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर 2. राधेश्याम पुत्र घीसाराम सरगरा निवासी–खेजड़ला, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर		राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश कमांकः राज./375 दिनांक 03.05.2019 द्वारा लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर –उपखण्ड अधिकारी बावड़ी, जिला जोधपुर अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) बावड़ी का प्रस्ताव दिनांक 22.04.2019

उपस्थित–
1. श्री रोशनलाल वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 9 .04.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी बावड़ी, जिला जोधपुर द्वारा जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्य के दौरान तहसीलदार (भू.अ.) बावड़ी द्वारा अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर, एक्ट के तहत ग्राम सेवा गांव के खसरा एकीकरण प्रस्ताव में पारित आदेश कमांकः राज./375 दिनांक 03.05.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0–तहसीलदार बावड़ी द्वारा DILRMP योजनान्तर्गत तहसील को ऑनलाईन किये जाने हेतु जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्य व वन टू वन मेपिंग कार्य के मध्यनजर मौका स्थिति व रेकर्ड अनुसार रेकर्ड/खसरा नम्बर दुरूस्ती के प्रस्ताव तैयार कर सूची अनुसार निस्तारण हेतु उपखण्ड अधिकारी बावड़ी (जोधपुर) को भिजवाया गया। जिसमें खसरा नम्बर 139 के सभी बट्टा नम्बरान क.सं. 1 से 24 तक का खसरा नम्बर 139–सरकार में एकीकरण कर दिया गया। प्रस्ताव में अपीलांट्स–क0सं0 6 पर ताराचंद पुत्र धन्नाराम के

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

खसरा नम्बर 139/6 रकबा 4.10 बीघा एव क.सं. 19 पर राधेश्याम पुत्र घीसाराम के खसरा नम्बर कमशः 139/25 रकबा 8.00 बीघा का भी खसरा एकीकरण कर, राजस्व रिकॉर्ड में अंकन प्रस्तावित किया गया। जिसे उपखण्ड अधिकारी बावड़ी द्वारा अपीलाधीन आदेश कमांकः राज/375 दिनांक 03.05.2019 द्वारा स्वीकार कर प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित खसरों को मूल खसरा नम्बर 139 में मर्ज कर, रिकॉर्ड/खसरा दुरूस्ती का आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। दौरान्न सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0–तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्य को पूर्ण करने एवं नक्शों में दर्ज खसरा नम्बरों का वन टू वन मिलान के मध्यनजर जिन खसरों के रिकार्ड मौका व नक्शें में भिन्नता आ रही है यथा (एक खातेदार के खसरा नम्बर में एक से अधिक जगह कब्जा है, जबकि जमाबंदी में एक ही बट्टा नम्बर डाला हुआ है। विभाजन में प्राप्त एवं जमाबंदी में दर्ज खसरा नम्बर से भिन्न नम्बर पर कब्जा है) उन खातों तथा खसरा नम्बरों को किलियर करने हेतु नक्शा दुरूस्ती/मूल खसरा नम्बर 139 रकबा 415.06 बीघा में ख0नं0 139 के सभी बट्टा नम्बरान का एकीकरण करने का प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव में क0सं0 6 पर अपीलार्थी सं0 1–ताराचंद पुत्र धन्नाराम के खसरा नम्बर 139/6 रकबा 4.10 बीघा एव क.सं. 19 पर अपीलार्थी सं0 2–राधेश्याम पुत्र घीसाराम के खसरा नम्बर कमशः 139/25 रकबा 8.00 बीघा का भी खसरा एकीकरण कर, राजस्व रिकॉर्ड में अंकन प्रस्तावित किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश कमांक 375 दिनांक 03.05.2019 द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जबकि मूल खसरा नम्बर 139 में से समय–समय पर आवंटन किये गये थे व आवंटन अनुसार खातेदारों को मौके पर कब्जे दिये गये थे तथा उसी अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम की हुई थी। आवंटन आदेश में ही पक्षकारान के मध्य तरमीम के अनुसार नक्शा भी बनाया गया,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जिसमें हिस्से तय करते हुए अलग–अलग स्थान पर कब्जा–काश्त तय किया गया। इस कारण सेग्रीगेशन की कार्यवाही में पुनः खसरा एकीकरण नही किया जा सकता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा एकीकरण करते समय अपीलार्थीगण को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अपीलार्थीगण आवंटित भूमि पर मौका कब्जा काश्त है। प्रत्यर्थी अपीलाधीन आदेश की आड़ में राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन कर अपीलार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमदा है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर, राजस्व रेकर्ड की पूर्व स्थिति कायम करने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि राज्य सरकार की महत्वांकांक्षी DILRMP योजनान्तर्गत तहसील को ऑनलाईन किये जाने हेतु जमाबंदी व नक्शे में अंकित खसरों का वन टू वन मिलान में, जिन खसरों में रिकार्ड मौका तथा नक्शों में भिन्नता आ रही थी यथा (एक खातेदार के खसरा नम्बर में एक से अधिक जगह कब्जा है, जबकि जमाबंदी में एक ही बट्टा नम्बर डाला हुआ है, विभाजन से प्राप्त एवं जमाबंदी में दर्ज खसरा नम्बर से भिन्न खसरा नम्बर पर कब्जा है) उन खातों तथा खसरा नम्बरों को सही करने हेतु दुरूस्ती प्रस्ताव तहसीलदार बावड़ी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट के तहत प्रेषित किया गया, जिस पर अपीलाधीन आदेश के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हस्तगत अपील प्रकरण में न्यायालय हाजा के पत्र कमांक 789 दिनांक 18.03.26 द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) बावड़ी को अपीलार्थी के अभिकथनों के संदर्भ में रेकर्डेड जांच कर रिपोर्ट भिजवाने की अपेक्षा की गई। उक्त कम में तहसीलदार बावड़ी के पत्र कमांकः भू.अ./2026/राजकाज नं. 21210489 दिनांक 23.03.2026 के संलग्न हल्का पटवारी सेवकी कलां एवं भू.अ.नि. बुचेटी की जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिसमें बिन्दुवार यह उल्लेखित है ग्राम सेवा गांव की गत जमाबंदी संवत् 2061–64 के खाता संख्या 37 में ख0नं0 139/25 रकबा 8.00 बीघा राधेश्याम पुत्र घीसाराम तथा खाता संख्या 62 में ख0नं0 139/6 रकबा 4.10 बीघा ताराचंद पुत्र धन्नाराम के नाम दर्ज था। DILRMP योजनान्तर्गत वन–टू–वन मेपिंग एवं सेग्रीगेशन हेतु उपखण्ड अधिकारी बावड़ी के आदेश कमांक 375 दिनांक 3.5.19 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 432 द्वारा ग्राम सेवा के

ख0नं0 139 एवं समस्त बट्टा नम्बरान का एकीकरण कर दिया गया। जो वर्तमान में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2073–76 (वर्ष 2019) से स्थायी खाता संख्या 183 के ख0नं0 661/139 रकबा 81.7009 हैक्टर में ताराचंद पुत्र धन्नाराम हिस्सा 7281/817009 यानि 4.10 बीघा तथा राधेश्याम पुत्र घीसाराम हिस्सा 12944/817009 यानि 8 बीघा भूमि सह–खातेदारी में दर्ज हो रखी है। रिपोर्ट के बिन्दु सं0 3 में ख0नं0 139/25 एवं 139/6 की मौका जांच अनुसार नक्शा नजरिया वर्णित कर, उल्लेखित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न प्रेषित की गई। रिपोर्ट में वादग्रस्त खसरन की पूर्व तरमीम संबंधी रेकर्डेड तथ्यों का कोई उल्लेख नही किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में वकील अपीलांट का कथन है कि अपीलांट आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त है व उक्त भूमि राजस्व नक्शें में तरमीम सुदा है। वकील अपीलांट द्वारा फार्म नं0 3 के साथ वादग्रस्त ख0नं0 139/6 एवं 139/25 के तरमीम की सत्यप्रति कमांक 173 दिनांक 23.12.12 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। साथ ही अपीलाधीन आदेश को लेकर न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में एक अन्य अपील सं0 298/2023 में पारित निर्णय दिनांक 31.07.23 की प्रति प्रस्तुत की गई, जिसके द्वारा अपील के खसरान की राजस्व रेकर्ड में पूर्व स्थिति बहाल करने का निर्णय पारित किया गया। इस स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपीलांट के खसरान की हद तक निरस्त किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी बावड़ी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांकः राज./375 दिनांक 03.05.2019 अपीलांट के ख0नं0 139/6 एवं 139/25 की हद तक निरस्त किया जाता है। साथ ही तहसीलदार बावडी को आदेशित किया जाता है कि तहसील बावडी स्थिति ग्राम सेवा गांव के वादग्रस्त ख0नं0 139/6 एवं 139/25 की राजस्व रेकर्ड में अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 9-4-26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनिता चौधरी) 9/4/26.
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर